न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/41/2024	2024/109	30—10—2024	26.12.2024

01. प्रवर्तन अधिकारी, अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. श्री अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री गंगासहाय, निवासी 13 इन्द्रा कॉलोनी, अलवर।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 02 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः—

1. विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी —विभागीय प्रतिनिधि

—:: निर्णय ::—

प्रवर्तन अधिकारी, अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 02 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी, अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 20.09.2024 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी, श्री कृष्ण कुमार बॉयला, प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु श्री अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री गंगासहाय, निवासी 13, इन्द्रा कॉलोनी, अलवर की सुन्दर चाट कॉर्नर, स्टेशन रोड, अलवर पर स्थित दुकान पर पहुंचे। मौके पर श्री अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री गंगासहाय, निवासी 13, इन्द्रा कॉलोनी, अलवर उपस्थित मिले। श्री अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री गंगासहाय की दुकान पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था। फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गया। श्री अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री गंगासहाय द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री अनिल कुमार शर्मा के द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को मै० गोविन्द गैस, अलवर के प्रतिनिधि श्री राजू सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी अनिल कुमार शर्मा, सुन्दर चाट कॉर्नर के नाम से स्टेशन रोड, अलवर पर ठेली लगाकर समोसे, कचोरी, का कार्य करता है तथा दुकान के चपेटवा घर की गैलरी में मेरा घरेलु गैस सलेन्डर इण्डियन गैस कम्पनी का रखा हुआ या तथा दूसरा गैस सलेन्डर एच.पी. कम्पनी का था जो मेरे परिचित व्यक्ति के द्वारा कुछ देरे के लिए मेरी दुकान पर छोडकर गया था। दिनांक 20.09.2024 को जिला रसद अधिकारी अलवर के द्वारा मेरी स्टेशन रोड स्थित चाट कॉर्नर पर आये और आते ही मेरे घर की चपेटवा गैलरी में रखा इण्यिन गैस कम्पनी के गैस सलेन्डर को तथा मेरे परिचित ललता प्रसाद के द्वारा कुछ देरे के लिए अपना एच.पी कम्पनी के गैस सलेण्डर को

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

मेरी दुकान पर रखा था, उक्त दोनों गैस सलेन्डरों को जप्त कर लिया। जबकि मै अपना समस्त व्यवायिक गतिविधियाँ कोयले की भट्टी पर ही करता हूँ तथा वक्त कार्यवाही भी मेरी दुकान का कार्य कोयले की भट्टी पर ही चल रहा था। जिला रसद अधिकारी के द्वारा मेरे मकान के चपेटवा गैलरी मे रखे दोनो घरेलु उपयोग उपभोग के लिए रखे, उक्त दोनों सलेन्डर को दुकान का व व्यवयायिक उपयोग में लेने की समझकर जप्त कर लिया गया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि नोटिस का जबाब प्रेषित कर निवेदन है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत जबाब को स्वीकार कर उक्त नोटिस की कार्यवाही को ड्रोप करने कर मेरी दुकान से घरेलु उपयोग उपभोग के सलेन्डर को मुझे दिलवाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, अलवर के अनुसार वक्त जांच मौके पर श्री अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री गंगासहाय की दुकान पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले, जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था। श्री अनिल कुमार द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री अनिल कुमार शर्मा के द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जाना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 व आरपीपीएल 1990 के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा उक्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा उक्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज०)